

भारत सरकार  
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय  
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न सं. 326

जिसका उत्तर मंगलवार, 01 दिसम्बर, 2015 को दिया जाना है

**उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन**

**326. श्री पी०आर० सुन्दरमः**

**श्री राम चरित्र निषादः**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा फोक्सवैगन पर अपनी कारों में उत्सर्जन मानकों की धोखाधड़ी के लिए कई बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या भारत में उक्त कंपनी द्वारा विनिर्मित कारों को भी नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन का उल्लंघन करते हुए पाया गया;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा उल्लंघन करने वाले कारें मॉडलों के स्थानीय उत्सर्जन मानकों के नाम क्या है;
- (घ) क्या फोक्सवैगन को इस संबंध में कोई नोटिस जारी किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और
- (ङ) क्या सरकार का उक्त कंपनी पर जुर्माना लगाने अथवा कारों को वापस लेने के लिए दबाव डालने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री**

**(श्री जी. एम. सिद्धेश्वर)**

**(क):** महोदया, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे जुर्माने से संबंधित जानकारी इस मंत्रालय को केवल मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से उपलब्ध हुई है। इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका से कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

**(ख) और (ग):** इस मंत्रालय ने परीक्षण एजेंसी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) के माध्यम से जांच के आदेश दिए हैं। एआरएआई ने 28.10.2015 को प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। शुरुआती निष्कर्षों के आधार पर यह संकेत मिला है कि फोक्सवैगन ग्रुप की कंपनियों द्वारा भारत में निर्मित डीजल वाहनों में लगाए गए ई189 इंजन में "द डिफीट डिवाइस" लगे हैं। ऐसा डिवाइस लगाने से सड़क पर नाइट्रोजन ऑक्साइड का अधिक उत्सर्जन हो सकता है। इस समय, सड़कों पर कारों से होने वाले उत्सर्जन को मापने के लिए कोई विशिष्ट मानदंड अथवा सीमाएं तय नहीं की गई हैं। वाहनों में डीफीट डिवाइस लगाने से संभावित उल्लंघन हुआ है, जिससे यह डिवाइस महसूस करता है कि वाहन परीक्षण अनिवार्य ड्राइविंग चक्र पर किया जा रहा है और प्रयोगशाला में विनियामक उत्सर्जन परीक्षण चक्र पर खरा उतरने के लिए तदनुसार ऑफ्टर-ट्रीटमेंट डिवाइसों के कार्य-निष्पादन को अनुकूल बनाता है।

**(घ):** जी, हां। फोक्सवैगन को एआरएआई के माध्यम से 04.11.2015 को नोटिस जारी कर दिया गया था। तदनुसार फोक्सवैगन द्वारा नोटिस की प्रतिक्रिया 30.11.2015 तक दी जानी आवश्यक है।

**(ङ):** प्रकटन और जांच निष्कर्षों के परिणाम के आधार पर, लागू राष्ट्रीय कानूनों के अनुसरण में संभव दंडात्मक/प्रशासनिक तथा/अथवा वाहनों को वापिस बुलाने, जैसा भी मामला हो, की कार्रवाई की जाएगी।

\*\*\*\*\*